148/17 मोहनाराम vs दौलाराम वगैरा

28.6.18

पत्रावली राजस्व लोक अदालत अभियान–न्याय आपके द्वार 2018 में अटल सेवा केन्द्र ग्राम पंचायत सिणधरी चौसिरा में पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा पूर्व में प्राप्त हुए थें। जो शामिल मिसल किये गये। विप्रार्थीगण को सुनवाई का अवसर दिये जानें के उपरांत भी हाजिर नहीं होनें पर इनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है।

वकील प्रार्थी की आवेदन पत्र पर अंतिम बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया गया,पत्रावली एवं सलंग्न राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया। जिसमें पाया कि प्रार्थी विवादित भूमि का रिकार्डड खातेदार है,और अपनी खातेदारी भूमि की पक्की नेखमबंदी करवाना चाहता है। विप्रार्थीगण बावजूद नोटिस तामील के हाजिर नहीं हुए है। इससे प्रतीत होता है। कि विप्रार्थीगण को प्रार्थी की खातेदारी भूमि की पक्की नेखमबंदी किये जाने में कोई आपर्ति नहीं है। ऐसी सूरत में प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किये जानें योग्य है।

लिहाजा प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाकर विस्तृत आदेश पृथक से लिखवाया जाकर मजमें आम सुनाया गया और शामिल मिसल किया गया।

पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफतर हों।

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

Scanned by CamScanner

राजस्व लोक अदालत अभियान–
न्याय आपके द्वार 2018

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (एस.डी.ओ.)सिणधरी

(लोक अदालत केम्प–अटल सेवा केन्द्र सिणधरी चौसिरा)
पीठासीन अधिकारी–श्री अंजुम ताहिर सम्मा ,आर.ए.एस

राजस्व आवेदन संख्या 148 / 2018

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थीगण
कोहलाराम पुत्र अचलाराम जाति जाट निवासी–किशनपुर(सिणधरी) तहसील सिणधरी व जिला बाड़मेर		1. दौलाराम पुत्र खेमाराम 2. नेनीदेवी पत्नी दौलाराम जाति जाट निवासी नाकोड़ा तहसील सिणधरी जिला बाडमेर 3. मांगाराम पुत्र मूलाराम 4. टीकमाराम पुत्र मूलाराम 5. ईसराराम पुत्र मूलाराम 6. नेनू पत्नी मूलाराम जाति जाट निवासी नाकोड़ा तहसील सिणधरी जिला बाडमेर

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

(वास्ते–विवादित भूमि की करने नेखमबन्दी बाबत)

उपस्थितः–1.श्री दलाराम चौधरी वकील प्रार्थीगण की ओर से।

2.विप्रार्थीगणः–एकतरफा।

आदेश

दिनांक– 28.6.18

1.संक्षेप में आवेदन के तथ्य इस प्रकार है,कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम किशनपुर पटवार क्षेत्र सिणधरी तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 10 / 24 रकबा 72–15 बीघा भूमि आई हुई है। जिस पर प्रार्थी का शान्तिपूर्वक कब्जा का चला आ रहा है, प्रार्थी की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थीगण की भूमि आई हुई है। वर्षा ऋतु के समय प्रार्थी की भूमि के सेढो को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलदान्जी की जाती है,और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान में तनाजा रहता है। इस कारण प्रार्थी द्वारा ग्राम किशनपुर पटवार क्षेत्र

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

Scanned by CamScanner

क्षणधरी तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्यां 10/24 रकबा 72–15 बीघा भूमि की पक्की नेखमबंदी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया गया है।

2. प्रार्थीगण के आवेदन को दर्ज रजिस्टरं किया गया। विप्रार्थीगण की तलबी हेतु नोटिस जारी किये गये। विप्रार्थीगण के नोटिस तामिल शुदा प्राप्त हुए। विप्रार्थीगण बावजूद नोटिस तामील के हाजिर नहीं होने पर उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

3.वकील प्रार्थी की एकपक्षीय बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने आवेदन के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया,कि प्रार्थी की खातेदारी ग्राम किशनपुर पटवार क्षेत्र सिणधरी तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 10/24 रकबा 72–15 बीघा भूमि आई हुई है। जिस पर प्रार्थी का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है, प्रार्थी की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थीगण की भूमि आई हुई है। वर्षा ऋतु के समय प्रार्थी की भूमि के सेढो को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलदान्जी की जाती है,और प्रार्थी की खातेदारी भूमि की पुरानी माढो को हटवाने का प्रयास करते रहते है,और प्रार्थी की खातेदारी भूमि मे आये दिन अवैध कब्जा करने का प्रयास किया जाता है,और आये दिन सोमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा रहता है। इस कारण प्रार्थी के खातेदारी भूमि ग्राम किशनपुर पटवार क्षेत्र सिणधरी तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 10/24 रकबा 75–15 बीघा भूमि की पक्की नेखमबन्दी के आदेश फरमावें जावे।

4.हमने वकील प्रार्थीगण की बहस पर मनन किया और पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड,एवं सलंग्न दस्तावेजात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। तथ्यो का विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया गया। जिसमें पाया कि ग्राम किशनपुर पटवार क्षेत्र सिणधरी तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 10/24 रकबा 72–15 बीघा भूमि का प्रार्थी रिकार्डेड खातेदार है,जो पत्रावली के सलंग्न विवादित भूमि संवत 2072 से 2075 से प्रमाणित होता है। तथा काश्त की सुविधा हेतु अपनी खातेदारी भूमि की नेखमबन्दी करवाना चाहते है,विप्रार्थीगण बावजूद नोटिस तामील होने के हाजिर नहीं हुए है,इससे प्रतीत होता है,कि विप्रार्थीगण को प्रार्थी की खातेदारी भूमि की नेखमबन्दी किये जाने में कोई आपति नही होगीं। ऐसी सूरत मे उक्त भूमि की नेखमबन्दी किये जाने में कोई आपति प्रतीत नही होती है।

5. लिहाजा, प्रार्थी का आवेदन पत्र राजस्व लोक अदालत की भावना को मध्यनजर रखते हुए स्वीकार किया जाकर ग्राम किशनपुर पटवार क्षेत्र सिणधरी तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 10/24 रकबा 72–15 बीघा भूमि के सम्बन्ध में सीमज्ञान की कार्यवाही तहसीलदार सिणधरी प्रार्थी से करवायें जावें। प्रार्थी नियमानुसार सीमाज्ञान शुल्क वहन

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

Scanned by CamScanner

रेगा। तत्पश्चात विवादित भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार सिणधरी को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है,उक्त कार्यवाही प्रार्थी व विप्रार्थीगण को पूर्व मे जरिये नोटिस/पत्र के जरिये सुचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर की जावे। कमिशनर फीस 500/ प्रार्थीगण मौके पर अदा करेगा। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल मिसल हो।

(अंजुम ताहिर समा)
उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी

आदेश आज दिनांक 28/6/18 को लिखवाया जाकर मजमे आम सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी सिणधरी
उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

Scanned by CamScanner